

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2310 / 2010 / जोधपुर

मैसर्स टूल्स एण्ड हार्डवेयर स्टोर, पाल रोड, जोधपुर.अपीलार्थी.
बनाम

1. उपयुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर.
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता—द्वितीय, जोधपुर.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री एस. पी. व्यास, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.
 श्री डी. पी. ओझा,
 उप—राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04 / 05 / 2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 72 / आरएसटी / जेयूडी / 09-10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.09.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता (द्वितीय), जोधपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 25.10.97 की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.97 को बनाड़ चुंगी नाके पर वाहन संख्या आर.जे.14 / जी—1282 को चैक करने पर वाहन में '90 इम कारबाइड' दिल्ली से जोधपुर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। सक्षम अधिकारी के समक्ष वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित जी. आर. संख्या 1590 दिनांक 22.10.97 एवं मैसर्स अक्षय एन्टरप्राईजेज, नई दिल्ली का बिल संख्या 557 दिनांक निल प्रस्तुत किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त बिल को संदेहास्पद एवं माल परिवहन में धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिल संख्या 557 की द्वितीय प्रति एवं विक्रेता व्यवहारी के सी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण—पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करते हुए तकनीकी त्रुटि के कारण बिल में दिनांक का अंकन होने से रह जाना जाहिर करते हुए माल छोड़ने का निवेदन किया गया। सक्षम

नोटिस

अधिकारी द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये बिल व पंजीयन प्रमाण—पत्र के अवलोकन के उपरान्त विक्रेता व्यवहारी के पंजीयन संख्या में अंतर पाये जाने के आधार पर बिल को मिथ्या मानते हुए माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 50,400/- आरोपित करने का आदेश दिनांक 25.10.97 पारित किया गया।

3. अपीलार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.4.2000 से स्वीकार की गई, जिसके विरुद्ध राजस्व की ओर से पेश की गई अपील कर बोर्ड के आदेश दिनांक 28.11.2002 द्वारा अस्वीकार कर दी गई। कर बोर्ड के उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई सिविल रिवीजन संख्या 385 / 2004, माननीय उच्च न्यायालय के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम देव ट्रेडिंग कम्पनी की सिविल एस.बी. रिवीजन संख्या 555 / 2003 में पारित निर्णय दिनांक 05.09.2007 में अनुसूची 'बी' में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण मैसर्स डी. पी. मैटल्स एवं गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरणों में पारित किये गये न्यायिक दृष्टान्तों के परिपेक्ष्य में पुनः सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गई। इस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की सुनवाई एवं रेकार्ड का अवलोकन करने के बाद वक्त चैकिंग प्रस्तुत किये गये बिल में अंकित विक्रेता व्यवहारी की पंजीयन संख्या एवं जवाब के साथ पेश किये गये पंजीयन प्रमाण—पत्र में अंकित पंजीयन संख्या में अन्तर के आधार पर बिल को मिथ्या एवं कूटरचित मानते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का आदेश दिनांक 3.9.2010 पारित किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि वक्त चैकिंग माल से सम्बन्धित बिल व बिल्टी सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिसमें माल सम्बन्धी कोई त्रुटि नहीं पायी गयी थी। केवल सक्षम अधिकारी के संदेह के आधार पर मूल बिल की प्रति व विक्रेता व्यवहारी के पंजीयन प्रमाण—पत्र की फैक्स प्रति मंगवाकर पेश की गई, जिसमें विक्रेता व्यवहारी के पंजीयन क्रमांक में अन्तर पाये जाने में अपीलार्थी व्यवहारी का कोई दोष नहीं है तथा अन्तर किस आधार पर आया है, यह भी सक्षम अधिकारी को स्पष्ट कर दिया गया था, इसके बावजूद सक्षम अधिकारी ने बिना किसी अग्रिम

जांच के केवल मात्र विक्रेता व्यवहारी के पंजीयन क्रमांक में अन्तर के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध शास्ति आरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अग्रिम कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड का यह निरन्तर मत रहा है कि मूल बिल एवं कार्बन प्रति की लिखावट में अन्तर आने, बिल क्रमांक/दिनांक अंकित नहीं होने तथा तकनीकी त्रुटियों के आधार पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण अविधिक है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तकों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 25 एस.टी. सी. 211 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम दी स्टेट ऑफ उड़ीसा; माननीय राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का न्यायिक दृष्टान्त (1994) 1 टैक्स वल्ड 229; मैसर्स सिंगल रोडवेज बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी; माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 1 आर.टी.आर. 227 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मार्लति नन्दन ट्रेडिंग कं0; (2002) 1 आर.टी.आर. 229 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स जनरल साइन्टिफिक कम्पनी; 31 टैक्स अपडेट 126 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स वराज ट्रेक्टर्स इण्डस्ट्रीज; 21 टैक्स अपडेट 141 मैसर्स बिड़ला ऑयल मिल्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी; (2003) 2 आर.टी.आर. 154 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स कृष्णा फूड कारपोरेशन प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच प्रस्तुत किये गये बिल व नोटिस की पालना में प्रस्तुत की गई बिल की द्वितीय प्रति में लिखावट में कई अन्तर पाये गये हैं। मूल बिल में दिनांक अंकित नहीं है, जबकि द्वितीय प्रति में दिनांक 22.10.97 अंकित है। मूल बिल में विक्रेता व्यवहारी का पंजीयन क्रमांक व नोटिस की पालना में प्रस्तुत किये गये पंजीयन प्रमाण-पत्र में अंकित पंजीयन क्रमांक में अन्तर पाये जाने के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण उचित प्रकार किया गया है। इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।


6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वक्त जांच मैसर्स अक्षय एन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली का बिल संख्या 557 प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक का इन्द्राज नहीं था तथा विक्रेता व्यवहारी के पंजीयन क्रमांक LC/08/165685/03/92 अंकित पाये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा संदेह होने पर जारी किये गये नोटिस की पालना में मूल बिल की द्वितीय प्रति तथा विक्रेता व्यवहारी के सी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण—पत्र की फैक्स प्रस्तुत की गयी। बिल की द्वितीय प्रति में दिनांक 22.10.97 अंकित पायी गयी तथा लिखावट में अन्तर पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों बिल अलग—अलग बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त विक्रेता के पंजीयन प्रमाण—पत्र में पंजीयन क्रमांक LC/35/165685/0393 अंकित पाये गये। इससे यह प्रमाणित होता है कि करापवंचन की मंशा से दोहरी बिल बुक छपवाई गई है, जिसमें पंजीयन क्रमांक भी गलत अंकित किये गये हैं। इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यदि वाहन की चैकिंग नहीं होती तो व्यवहारी अपने करापवंचन के कृत्य में सफल हो जाता।

8. उपरोक्त स्थिति में वक्त जांच प्रस्तुत बिल एवं नोटिस की पालना में प्रस्तुत किये गये बिल में पाये गये उपरोक्त अंतरों से व्यवहारी की करापवंचन की मानसिकता प्रमाणित हो जाती है। सक्षम अधिकारी ने दोहरी बिल बुक से बिल जारी किया जाना व कूटरचित दस्तावेज से माल आयात करने को प्रमाणित किया है। इसी प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित च्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न होने से व्यवहारी को किसी प्रकार की सहायता नहीं करते हैं।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है तथा सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों की पुष्टि की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।


०५.०५.२०१५

(मनोहर पुरी)
सदस्य